न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

नामान्तरकरण अपील प्रार्थना–पत्र संख्या :– 01/2022 **GCMS 2022/159**

अपीलान्ट :–

1. चंद्री पत्नी श्री रामुराम उम्र 55 जाति कुमावत निवासी लखजी का बास ग्राम पंचायत हिराणी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

1 भोलू पुत्र उदा जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
2 प्रेमाराम पुत्र हुक्माराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास कुचामन सिटी।
3 सोहनराम पुत्र नेमाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
4 ओमप्रकाश पुत्र नारायणराम कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
5 गगाराम पुत्र हीराराम कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
6 गोपाल पुत्र डूंगाराम कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
7 छीतरमल पुत्र पन्नाराम कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
8 तिलोकाराम पुत्र बिरदाराम कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
9 धन्नाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
10 नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
11 पेमाराम पुत्र रूघाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
12 प्रकाश चंद पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
13 बजरंगदास पुत्र नारायणदास जाति साद निवासी रामनगर, खारिया तहसील कुचामन सिटी फौत के कायम मुकाम :–

13/1– भंवरलाल पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी रामनगर खारिया
13/2– लालाराम पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी रामनगर खारिया
13/3– रामनिवास पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी रामनगर खारिया
13/4–सायरीदेवी पुत्री बजरंगदास पत्नि लालचंद स्वामी नि. बावड़ी रसीदपुरा तह.मौलासर
13/5– किस्तुरीदेवी पुत्री बजरंगदास पत्नि राधेश्याम जाति स्वामी नि. प्लाट नं. 211/11 ए झुलेलाल सोसायटी, भरत नगर, गांधीधाम कच्छ (गुजरात) 370201
13/6– छोटीदेवी पुत्री बजरंगदास पत्नि दिनेश स्वामी नि. अलखपुरा तह. मौलासर
13/7– रतनीदेवी पुत्री बजरंगदास पत्नि रूपचंद स्वामी नि. पीपला बा बास धनकोली

14 बंशीलाल पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
15 भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
16 भंवरलाल पुत्र डूंगाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
17 मगनीराम पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
18 मेवाराम पुत्र हीरामराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
19 मोहनराम पुत्र जीवणराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
20 रमेशकुमार पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

21 रामचंद्र पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
22 लालाराम पुत्र बजरंगदास जाति स्वामि निवासी रामनगर तहसील कुचामन सिटी।
23 शांतिदेवी पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हिराणी तहसील कुचामन सिटी।
24 शिवबक्ष पुत्र नानूराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
25 सुजा पुत्र भोमा जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
26 सन्तोष देवी पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
27 सेवाराम पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
28 सिणगारी पत्नि नारायणराम जाति कुमावत नि. लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
29 सीतादेवी पुत्री पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
30 सोनाराम पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
31 हीरादेवी पत्नी पन्नाराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास तहसील कुचामन सिटी।
32 पटवारी पटवार मण्डल हीराणी तह0 कुचामन सिटी जिला नागौर राज0।
33 राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी) तह0 कुचामन सिटी।

नामान्तकरण अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 120 दिंनाक 09.09.2021 ग्राम लखजी का बास पंचायत हिराणी द्वारा स्वीकृत किया गया अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट0 1956

उपस्थित :– श्री भीकमचन्द अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28/8/2023

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना का संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम लखजी का बास तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 111/36 रकबा 0.056 हैक्टर, खसरा नम्बर 112/36 रकबा 0.844 हैक्टर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.10 हैक्टर, कुल खसरा 15 कुल रकबा 6.86 हैक्टर भूमि में अपीलान्टकर्ता के ससूर श्री भोलू पुत्र उदा कि सहखातेदारी भूमि स्थित चली आ रही थी। उपरोक्त भूमि में अपीलांट के ससूर अप्रार्थी सख्या 1 भोलू पुत्र उदा की 1/16 वे हिस्से की खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। उपरोक्त भूमि में अपिलांट के ससूर ने अप्रार्थी संख्या 1 भोलू पुत्र उदा ने अपनी सम्पूर्ण भूमि 1/16 हिस्से को 3 बराबर हिस्सो में एक साथ बक्शीश कर [illegible] 1/3 [illegible] हिस्से अर्थात 0.1429 हैक्टर की रजिस्टर्ड बक्शीश अपीलांट के नाम कर [illegible] का पंजीयन दिनांक 28.06.2021 को क्रम संख्या 20210347110[illegible] उप पंजीयक [illegible] कुचामन मे पजीबंद्व है तथा 1/3 वॉ हिस्सा अर्थात 0.1429 [illegible] अप्रार्थी सख्या 2 प्रेमाराम पुत्र हुक्माराम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दिनांक 28.06.2021 को क्रम संख्या 202103471101762 उप–पंजीयक कार्यालय कुचामन मे पजीबद्व है तथा शेष 1/3 हिस्सा अर्थात 0.1429 हैक्टर की बक्शीश अप्रार्थी सख्या 3 सोहनराम पुत्र नेमाराम को दिनांक 28.06.2021 को क्रम संख्या 202103471101761 उपं–पंजीयक कार्यालय कुचामन सिटी में पंजीबद्व है। उपर्युक्त भूमि जो अप्रार्थी सख्या 1 भोलू पुत्र उदा के पास थी उसकी सम्पूर्ण भूमि की बक्शीश अपीलान्ट व अप्रार्थी सख्या 2 व 3 को कर दी। बक्शीश करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के पास कोई भी शेष भूमी नही रही। अपीलान्ट के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 प्रेमाराम से उसके सम्पूर्ण हक हिस्से 1/48 वॉ हिस्सा अर्थात 0.1429 हैक्टर भूमि को जरिए रजिस्ट्रर्ड क्रय कर लिया। जिसका पंजीयक उपं–पजीयक कार्यालय कुचामन सिटी में दिनांक 08/10/2021 क्रम सख्या 202103471103297 पर पंजीबद्व है, जिसका नामान्तरकरण सख्या 121 भरा गया अर्थात अपीलांट के पास 0.1429 हैक्टर जरिए बक्शीश व 0.1429 हैक्टर भूमि जरिए बेचाननामा क्रय से कुल रकबा 0.2858 हैक्टर भूमि अर्थात सम्पूर्ण का 1/24 वॉ हिस्सा होना चाहिए जबकि नामान्तरण सख्या 120 में अप्रार्थी सख्या 1 के सम्पूर्ण हिस्से का 1/72 वां हिस्से का नामान्तरण दर्ज किया गया, जबकि 1/48 वां हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट का ग्राम लखजी का बास पटवारी हल्का हिराणी तहसील कुचामन सिटी के नामातरण सख्या 120 को खारीज किया जाकर सही 1/48 हिस्से अर्थात 0.1429 हैक्टर की भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलांट की इस्तदुआ है कि ग्राम पंचायत हीराणी द्वारा नामान्तकरण संख्या 120 दिंनाक 09.09. 2021 को स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जााकर सही 1/48 वॉ हिस्से का नामान्तरण दर्ज करने का आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी को फरमावे।

अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरकरण सं.120 दिनॉक 09.09.2021 एवं नामान्तरकरण सं. 121 दिनॉक 01.11.2021 की प्रति, बक्शीशनामा दस्तावेज संख्या 202103471101761 दिनॉक 28.06.2021, बक्शीशनामा दस्तावेज संख्या 202103471101761 दिनॉक 28.06.2021, बक्शीशनामा दस्तावेज सं. 202103471101759 दिनॉक 28.06.2021, बेचाननामा दस्तावेज सं. 202103471103297 दिनॉक 08.10.2021 की प्रतियॉ प्रस्तुत की, नकल खतौनी सम्वत 2066–2069 की नकल, जमाबंदी खेवट खतौनी की प्रति, सम्वत 2074–2077 की नकल 20.09.2021, 01.11.2021, 17.11.2021, 31.12.2021, 06.06.2023 की प्रति प्रस्तुत की।

वकील अपीलांट की एक–पक्षीय बहस सुनी गई जिन्होन प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबंदी (खेवट खतौनी) अनुसार उपरोक्त [illegible] खसरान 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51 कुल रकबा [illegible] है, में भोलू पुत्र उदा जाति कुमावत सा. देह हिस्सा 1/16 अंकित है, [illegible] द्वारा दिनांक 28.06.2021 को तीन बक्शीशनामे उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में निष्पादित किये गये, जिनके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1/3 हक हिस्सा सोहनराम पुत्र नेमाराम जाति कुमावत लखजी का बास, 1/3 हक हिस्सा प्रेमाराम पुत्र हुक्माराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास, 1/3 हिस्सा चन्द्री पत्नि रामूराम जाति कुमावत निवासी लखजी का बास के हक में निष्पादित किये गये। जिसमें से प्रेमाराम ने अपना हक हिस्सा चन्द्री देवी को बेचान 08.10.2021 को कर दिया गया। तीनो के हक में 1/48, 1/48, 1/48 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होना चाहिए था, परन्तु सहवन से नामान्तरकरण 120 दिनॉक 09.09.2021 दर्ज करते समय चन्द्री के हक में 1/72 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया तथा भोलू पुत्र उदा के 1/36 हक हिस्सा शेष गलत रूप से रख दिया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 दिनॉक 29.09.2021 अनुसार भोलू पुत्र उदा हिस्सा 1/24 व प्रेमाराम पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/48 दर्ज है, जमाबंदी नकल दिनॉक 01.11.2021 अनुसार भोलू पुत्र उदा 1/36 चन्द्री पत्नि रामूराम हिस्सा 1/72 हिस्सा दर्ज है जबकि चन्द्री के स्वयं का 1/48 एवं प्रेमाराम से क्रय 1/48 कुल रकबा 1/24 दर्ज होना चाहिए था, जबकि नामा. सं. 120/09.09.2021 में चन्द्री का हक हिस्सा गलत रूप से दर्ज किया गया है। वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 में चंद्री पत्नि रामूराम हिस्सा 5/144 दर्ज है तथा भोलू पुत्र उदा हिस्सा 1/36 दर्ज है। वास्तविक स्थिति यह है कि सोहनराम के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामा अनुसार सोहन का 1/48 हिस्सा दर्ज होना शेष है तथा चंद्री का 1/24 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना है एवं भोलू पुत्र उदा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना है। उक्त प्रविष्टिया दर्ज होने से पहले उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 120/9.9.2021 अपास्त होने पर ही शुद्व प्रविष्टियॉ दर्ज की जा सकेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निम्न प्रकार स्वीकार की जाती है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत हिराणी प्रविष्टि ग्राम लखजी का बास के नामा. संख्या 120 दिनॉक 09.09.2021 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में सुनवाई कर गुणवागुण के आधार पर निर्णय पारित कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर पालना इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 28/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested